उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, ***1976***

U.P. Protection of Trees in Hill Areas Act, 1976

{ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1976 }

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों के निपातन और पुनः आरोपण के विनियमन की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम –

भारत गणराज्य के सताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

1.1 यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

1.3 यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम कतिपय क्षेत्र में लागू न होगा – यह अधिनियम –

क–आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर।

ख–किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधन भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो।

ग–नागर क्षेत्रों में स्थित वृक्षों पर।

ध–राजकीय उद्यान में या सरकार की भूमि पर स्थित वृक्षां पर लागू न होगा।

3. **परिभाषाएँ**–जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में –

3.1 ''रिक्त क्षेत्र'' का तात्पर्य पैमाइश में आधा हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भू–खंड से है (जिस पर खेती न होती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों।

3.2 ''भूमिसंरक्षण अधिकारी'' का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम 1963 में उसके लिए दिया गया है।

3.3 ''सक्षम प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उन कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त है और इमारती लकड़ी वाले, फल वाले और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गो के सम्बन्ध में और विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं।

3.4 ''मण्डलीय वन अधिकारी'' का तात्पर्य किसी वन मण्डल के प्रभारी और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है।

3.5 सजातीय पद सहित ''वृक्ष के निपातन'' का तात्पर्य वृक्ष को काटने, गिराने, छाटने, ठूंठ करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुँचाने से हैं।

3.6 ''राजकीय उद्यान'' का तात्पर्य फल–फूल या सब्जी उगाने या वृक्षों का रोपण या पोषण करने के लिए प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू–खंड से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की बाग भूमि भी सम्मिलित है।

3.7 ''पर्वतीय क्षेत्र'' का तात्पर्य जिला अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल चमोली, टेहरीगढ़वाल और उत्तरकाशी तथा जिला नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों और देहरादून जिले की चकराता तहसील व मंसूरी नगर पालिका क्षेत्र से है, परन्तु उसमें कोई छावनी क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

3.8 ''खाता'' और ''खातेदार'' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 में उनके लिये दिया गया है।

3.9 ''सार्वजनिक भू–गृहादि'' का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 में उसके लिये दिया गया है।

3.10 ''पुनरीक्षण प्राधिकारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है।

3.11 ''वृक्ष'' का तात्पर्य किसी काष्ठीय वनस्पति से है, जिसकी शाखाओं का उद्भव स्थान और अवलम्ब कोई स्कन्ध या निकाय है और जिसके स्कन्ध या निकाय का व्यास धरातल से तीस सेन्टीमीटर की ऊँचाई पर पांच सेन्टीमीटर से कम नहीं है और ऊँचाई धरातल से एक मीटर से कम नहीं है, और क्रमशः पद ''इमारती लकड़ी वाले वृक्ष'' और ''फल वाले वृक्ष'' का तात्पर्य क्रमशः अनूसूची 1 और अनुसूचियों 2 में विनिर्दिष्ट जाति के वृक्ष से है।

3.12 ''नागर क्षेत्र'' का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे क्षेत्र से है जो नगरमहापपालिका नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड या विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित हो।

3.13 इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा–संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित, किन्तु इस अधिनियम में अपरिभाषित, '' शब्द और पद'' के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिये गये।

4. **वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बंधन –** इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति –

4.1 किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो, खड़े किसी वृक्ष को नहीं गिरायेगा।

4.2 उस वृक्ष से, जो बिल्कुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी मानवीय साधन के बिना ही गिर गया है, भिन्न वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटायेगा और अन्य प्रकार से उसका निस्तारण नहीं करेगा।

5. **वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए अनुज्ञा –** सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति के आवेदन–पत्र पर, जो किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुये वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने के लिये हकदार है, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, उस व्यक्ति को ऐसा करने की अनुज्ञा दे सकता है।

परन्तु यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है तो ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार नही किया जायेगा।

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित अधिसूचित, किया जाय ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के निपातन के लिए इस दृष्टि से कि ईधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिये उसकी लकड़ी या पत्ती को हस्तगत करना है, अपेक्षित नहीं होगी।
परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती हैं, जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिये या किसी खतरे को रोकने के लिये आवश्यक हो।

6. **वृक्ष के निपातन या अपनयन की अनुज्ञा लेने की प्रक्रिया –**

6.1 धारा 5 के अधीन प्रत्येक आवेदक–पत्र लिखित रूप में होगा और ऐसी रीति से दिया जायेगा और उसने ऐसे ब्यौरे होंगे जो विहित किये जाएं।

6.2 सक्षम प्राधिकारी अपना विनिश्चय वन बाग या सार्वजनिक भू–गृहादि में उगे हुये किसी वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन–पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिनांक

से नब्बे दिन के भीतर, और किसी गिरे हुये वृक्ष के सम्बन्ध में आवेदन–पत्र की स्थिति में, ऐसे आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिनांक से सात दिन के भीतर देगा।

6.3 यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (2) में अनुमत समय के भीतर अपना विनिश्चय देने में असफल रहता हैं तो धारा 5 में निर्दिष्ट अनुज्ञा दी गई समझी जाएगी।

6.4 उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के बीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

6.5 इस अधिनियम के अधीन दी गई प्रत्येक अनुज्ञा ऐसे रूप में और ऐसी शर्तो के, अधीन होगी, जो विहित की जाएं, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरूत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए या अन्यथा प्रतिभूति लेना भी है।

7. **वृक्षारोपण का दायित्व** – प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिरान, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गई है, उस क्षेत्र में, जहां ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

8. **रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण**

8.1 जहां परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व–अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वहां वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यायी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में, जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाये।

8.2 उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायेगी और उसमें ऐसे ब्योरे होंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायेगी जो विहित की जाये।

8.3 प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निदेश दे सकता है, जा निदेश में विनिर्दिष्ट हो।

8.4 उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर सम्बद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. **धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन –**

9.1 प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारां 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, यथास्थिति 'अनुज्ञा के दिनांक से या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देगा, और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसे विस्तारित समय के भीतर, जैसा सम्बद्ध प्रभागीय वन अधिकारी अनुमति दे, ऐसे निदेशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा।

9.2 ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यति क्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत विहित रीति से वसूल कर सकता है।

10. धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिए शास्ति – जो कोई भी की धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा को किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो छः

मास तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रूपये तक हो सकता है या दोनों का दन्ड दिया जायेगा।

11. **11. कम्पनियों द्वारा अपराध–**

11.1 यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधों माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपराध के किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

11.2 उपधरा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और या साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है यह उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अप्रिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

- ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्ति का अन्य समुदाय भी है, और
- ''निदेशक'' का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

12. **इमारती लकड़ी का समपहरण –**

12.1 जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाय, वहां न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या वृक्ष जिसके सम्बन्ध में अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपकरणों को सरकार के प्रति समपहत किये जान का आदेश दे सकता है।

12.2 इस धारा के अधीन समपहत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाये।

13. बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति –

13.1 वनराजिक से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इंसपेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरूद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है। परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब–इंसपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानो वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

13.2 इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना आवश्यक विलम्ब किये, और बन्ध–पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवाएगा।

13.3 इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, जब कभी आवश्यक है उपस्थित होने के लिए, बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायेगा।

14. **अभिग्रहण करने की शक्ति –**

14.1 जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष का लकड़ी के साथ–साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ी वाहक या पशु भी, यदि कोई हो, वनराजिक से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब इंसपेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा, अभिग्रहीत किया जा सकता है।

14.2 इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिये अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए, विहित रीति के किया जायेगा।

14.3 कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति की गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस ब्याज से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, यह कारावास से ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माना से जा पांच सौ रूपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

15. **अपराधों का प्रशमन कराने की शक्ति –**

15.1 राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरूद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसमें किसी वन, बाग या सार्वजनिक भृग्रहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रूपये से अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

15.2 किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, संदिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और धारा 14 में किसी बात के होते हुये भी, ऐसा अधिकारी, ऐसी राशि का, जो पांच हजार रूपये से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, भुगतान करने पर इस अधिनिमय के अधीन अभिग्रहीत सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

16. अधिनियम के उल्लंघन की आख्या कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायेगी – प्रत्येक वन अधिकारी, लेखपाल, पंचायत, सचिव, पुलिस–कांस्टेबिल, सहायक उद्यान–निरीक्षक या सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षण या उनसे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह –

16.1 धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे, और

16.2 ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके लिये जाने की सम्भावना है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में है।

17. शास्ति देने या अधिहरण से अन्य दण्ड दिये जाने मं हस्तक्षेप नहीं होगा – इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण, कोई दण्ड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय है।

18. अधिकारी लोक सेवक होंगे – इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक–सेवक समझे जायेंगे।

19. धनराशि के भुगतान के लिए आदेश का निष्पादन – कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिये कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निदेश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

20. कार्यवाहियों पर रोक – इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया हुआ तात्पर्यित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्त्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिये शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरूद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

21. **छूट–** ऐसी शर्तो के अधीन, यदि कोई हो, जो आरोपित की जायें, रहते हुये राज्य सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र

को या वृक्षों की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से धूट दे सकती है।

22. **इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रबृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे** – इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने की प्रतिषिद्धि या विनियमित करने के लिये उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

23. **वृक्षों के परिक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति**

23.1 राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायेगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

23.2 ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायेगा।

24. नियम बनान की शक्ति – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकती है।

25. **निरसन तथा अपवाद –**

25.1 उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

25.2 ऐसे निरसन के होते हुए उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी मानो यह अधिनियम समस्त सारवान समय पर प्रवृत्त था।

—

अनुसूची – एक
(इमारती लकड़ी वाले वृक्ष)
{ धारा 3 (ग्यारह) देखिये }

क्र. सं.	सामान्य नाम			वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	2			3
1.	अखरोट	...	...	जुगलेंसरिजिया
2.	अर्जुन	...	...	टर्मीनलिया अरजुन
3.	आम	...	...	मैंगीफैरा इण्डिका
4.	इमली	...	...	टमारिनड्स इण्डिका
5.	करधई	...	...	ऐनोगाइसि पैनडुला
6.	कंजू	...	...	होल्प–टीलिया इनटेग्रिफोलिया
7.	कुसुम	...	...	स्लाईचेरा त्रिजुगा
8.	कैल	...	...	पाइनस एक्सलसा
9.	खरशू	...	...	क्यूरक्स सैमीकरपीकोलिया
10.	खैर	...	...	एकेशिया कटेशू
11.	गूटेल	...	...	ट्रीविया नूडीफ्लोरा
12.	धाऊ / वकली	...	...	एनोग्राइसस लैटीफोलिया
13.	चन्दन	...	...	सन्टालम एलबम
14.	चमखरिक	...	...	करपिनस विमीनिया
15.	चिरौजी	...	...	बुचनैनिया लैटिफोलिया
16.	चीड़	...	...	पाइनस राक्सवरगाई
17.	जामुन	...	...	साइजीयम क्युमिन
18.	ढाक / पलास	...	...	ब्यूटिया मोनसपरमा (केवल मिर्जापुर, वाराणसी, बांदा और झांसी जिलों के लिये)

क्र. सं.	सामान्य नाम			वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
19.	तुगी	...	...	सिड्रेला सेरटा
20.	तून	...	...	सिड्रेला तूना
21.	तेन्दू	...	...	डायस पायरेस टोमेंनटोसा
22.	देवदार	...	...	सीड्रस दिओदारा
23.	नीम	...	...	अजेडिरेक्टा इण्डिका
24.	पपरी / सन्सदू / चिकड़ी	...	...	बोक्सपैरविरेन्स
25.	फलियांट	...	...	फ्वेरकस ग्लाका
26.	बकाइन	...	...	मेलिया एजेडरेक
27.	बहेड़ा	...	...	टर्मीनलिया, बैलिरिका
28.	बांच	...	...	क्यूरकस इनकाना
29.	महुआ	...	...	मधुका लैटिफोलिया
30.	मोरिन्डा	...	...	ऐबीज पिनडरू
31.	मौरू	...	...	क्यूरसकस डाइलेटा
32.	राय	...	...	पौंसिमा मोरिण्डा
33.	रियांज	...	...	क्वेरकस लेनीजीनोसा
34.	शीशम	...	...	डलबर्जिया सिसू
35.	सलई	...	...	बौसबेलिया सेरेटा
36.	सागौन	...	...	टेक्टोना ग्रेन्डिस
37.	साल	...	...	सोरिया रोबस्टा
38.	सिरिस			ऐल्बिज्जिया स्पसिज
39.	सई / आसना	...	...	टर्मीनालिया टोमेनटोसा
40.	सेमल	...	...	सलमेलिया मेलाबरिका
41.	हरं	...	...	टर्मीनलिया चेबुला
42.	हल्दू	...	...	ऐडीन कार्डिफोलिया

अनुसूची – दो
(फल वाले वृक्ष)
{ धारा 3 (ग्यारह) देखिये }

क्र. सं.	सामान्य नाम			वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1.	अनार	...	...	पुनिका ग्रेन्टम
2.	अमरूद	...	...	पैसीडियम गाऊवा
3.	आडू	...	...	प्रूनस परसिको
4.	आलू बुखारा	...	...	प्रूनस कम्यूनिस
5.	आम	...	...	मैंगीफेरा इण्डिका
6.	आंवला	...	...	एम्बिलिका आफीसेनेल
7.	कटहल	...	...	अरर्टोकारपस इन्तिग्रिकोलिया
8.	खुबानी	...	...	प्रूनस एरमैनाइका
9.	नाशपाती	...	...	प्यूरस कम्यूनिस
10.	नारंगी, नीबू, माल्टा, मुसम्मी, सन्तरा	...	...	सभी तरह के सिटरस
11.	लीची	...	...	नैफलियम लिची
12.	शरीफा	...	...	एनीनास्कयूमोसा
13.	सेब	...	...	प्यूरस मेलस

अनुसूची – तीन
(ईधन वाले वृक्ष)
{ धारा 3 (ग्यारह) देखिये }

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष ।

––

उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा 3 के खण्ड III और X के अधीन और विज्ञप्ति संख्या 72/xiv.3.377.76ए दिनांक 20 जनवरी 1982 में अनतर्विष्ट शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारियों और पुनरीक्षण प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन, निम्नलिखित क्षेत्रो और वृक्षों के लिए क्रमशः सक्षम प्राधिकारी और पुनरीक्षण अधिकारी पर अधिरोपित या को प्रदत्त कर्तव्यों को सम्पन्न करने और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त करते है –

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण (हानिकर प्रतिष्ठानों और आवास योजनाओं का विनियमन) अधिनियम, 1985 उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18 सन् 1985) के अधीन विज्ञापित फल क्षेत्रों के लिए –

वृक्षों का वर्ग	सक्षम प्राधिकारी	पुनरीक्षण प्राधिकारी
1	2	3
फल	1– मण्डलीय निदेशक / मण्डलीय वन अधिकारी 2– जिला उद्यान अधिकारी	सम्बन्धित वन संरक्षक, क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी

उत्तरांचल शासन
परती भूमि विकास अनुभाग
संख्या–1939/14 प.भू.वि.–97–7/93
लखनऊ दिनांकः 14 अगस्त 1997.

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा–1 के साथ पठित उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976) की धारा–3 के खण्ड (तीन) और (दस) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और समय–समय पर यथा–संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या–72/चौदह–3–377–76, दिनांक 20 जनवरी, 1982 और संख्या 4447/14–प.भू.वि./93–300(3)/93 दि0 23 सितम्बर 1993 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारियों और पुनरीक्षण प्राधिकारियों को उन कर्तव्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए जो उक्त अधिनियम के अधीन क्रमशः उन पर आरोपित या उनको प्रदत्त है, नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों और वृक्षों के विभिन्न वर्गो के लिए सक्षम प्राधिकारियों और पुनरीक्षण प्राधिकारी नियुक्त करते हैः–

अनुसूची

(क) ऐसे वृक्षों के लिए जिनका गिराया जाना उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिषिद्ध हैः–

क्रम सं0	क्षेत्र	वृक्षों के वर्ग	सक्षम प्राधिकारी	पुनरीक्षा प्राधिकारी
1	सम्पूर्ण उ0प्र0	ऐसी प्रजातियों के वृक्षों के वर्ग जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से गिराये जा सकते हों	समबद्ध प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	सम्बद्ध वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

(ख) ऐसे वृक्षों के लिए जिनका गिराया जाना उपर्युक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध नहीं है।

क्रम सं0	क्षेत्र	वृक्षों के वर्ग	सक्षम प्राधिकारी	पुनरीक्षा प्राधिकारी
1	उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संवर्द्धन और संरक्षण (हानिप्रद) अधिष्ठान और आवाज योजना विनियम (अधिनियम 1985) उत्तर प्रदेश (अधिनियम संख्या 18 सन् 1985) की धारा 3 के अधीन फल पट्टी के रूप में घोषित क्षेंत्रों के लिए।	(क) फलदार वृक्ष	जिला उद्यान अधिकारी या अधीक्षक जहॉ जिला उद्यान अधिकारी का कार्य ऐसे अधीक्षक द्वारा देखा जा रहा है।	सम्बद्ध वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
		(ख) फलदार वृक्षों से भिन्न वृक्ष	सम्बद्ध प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	सम्बद्ध वन संरक्षक/क्षेत्रीय

2	राज्य के मैदानी इलाके के फल पट्टी क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्र (जिला सोनभद्र,मिर्जापुर, बांदा, झॉसी, ललितपुर, गोरखपुर, महराजंगज, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुरखीरी, और पीलीभीत और जिला वाराणसी की तहसील चकिया को छोडकर (के लिए)	(क)कृष्य और अकृष्य/बंजर जोत ग्राम समाज या अन्य सामुदायिक भूमि पर छुटपुट स्थित वृक्ष (ख) बांगों, जिला परिषदों की सड़क के किनारें के मार्गो के वृक्ष और अन्य अधिष्ठानों और संरचनाओं पर उगने वाले वृक्षः– (एक)	मुख्य विकास अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट (विकास)	सम्बद्ध जिला मजिस्ट्रेट
		राज्य के मैदानी इलाके के ऐसे जिलों के क्षेत्र जहॉ उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वनउपज अभिवहन नियमावली 1978 के नियम–3 के परन्तुक के खण्ड, (ग) के अधीन कतिपय प्रजातियों के वन उपजों को अभिवहन पास से छूट प्रदान की गई हो वहॉ किसी एक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर एक वर्ष में अधिकतम दो वृक्षों के लिए,	सम्बद्ध वन राजि अधिकारी	सम्बद्ध प्रभागीय अधिकारी/ प्रभागीय निदेशक
		(दो) उपयुर्क्त (एक) में उल्लिखित से भिन्न मामलों में।	सम्बद्ध प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	सम्बद्ध वन संरक्षक/ क्षेत्रीय निदेशक
3	जिला सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, झॉसी, ललितपुर, गोरखपुर, महराजंगज, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुरखीरी, और पीलीभीत और जिला वाराणसी की तहसील चकिया और राज्य के सभी पर्वतीय जिलों के फलपट्टी क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र के लिए **(सभी वर्गों के वृक्ष)**	सभी वर्गों के वृक्ष	सम्बद्ध प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	सम्बद्ध वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

आज्ञा से,
ह0/–
पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव, वन।

संख्या–1939 / (1)14–प.भू.वि. / 96–7 / 93 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संयुक्त अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अग्रेजी अधिसूचना आलेख्य की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिसूचना को उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट दिनांक 14–08–97 विधायी परिशिष्ट के भाग–4 खण्ड– ख में प्रकाशित करने एवं उसकी 1000 प्रतियां शासन को अविलम्ब भेजन का कष्ट करें।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, उत्तराखण्ड, विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. समस्त प्रमुख वन सरंक्षक / समस्त मुख्य वन सरंक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वन सरंक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश, समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / प्रभागीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, उद्यान विभाग एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से,
ह0 / –
(बी0 के0 पटनायक)
विशेष सचिव।

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 29 जुलाई, 1998

श्रावण 7, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

———

संख्या 1425/सत्रह वि–1–1–(क) 21/1998

लखनऊ, 29 जुलाई 1998

———

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्देद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1998 पर दिनांक 25 जुलाई, 1998 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1998 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय श्रेत्र में वृक्ष संरक्षण संशोधन

अधिनियम, 1998

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1998)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 का संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः–

1– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करें।

(2) उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, दीर्घ शीर्षक में शब्द ''ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में'' निकाल दिये जायेंगे। — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

(3) मूल अधिनियम की धारा–1 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्ः– — धारा 1 का संशोधन

''(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।''

(4) मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (ग) और (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थातः– — धारा 2 का संशोधन

''(ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर।''

(5) मूल अधिनियम की धारा 24 के पश्चात, निम्नलिखित धारा बढा दी जायेगी, अर्थातः–

नई धारा 24–क का बढाया जाना

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपलब्ध

''24–क– उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को और से किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश ग्रमीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति किसी निर्देश की उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश समझा जायेगा।''

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या–98(2)/1–व.ग्रा.वि./2002
दिनांकः देहरादूनः जनवरी 29. 2002.

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ गठित उत्तर प्रेदश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–45 सन् 1976) की धारा 23 के उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तरांचल शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग की अधिसूचना संख्याः 130/वन एवं पर्या0/2000, दिनांक 30 दिसम्बर, 2000 द्वारा निम्नलिखित जातियों के वृक्ष, जो वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों से भिन्न हो, के गिराये जाने पर दिनांक 31.12.2001 तक लगाये गये प्रतिबन्ध की अवधि को, श्री राज्यपाल जन साधारण के हित में उत्तरांचल राज्य हेतु आगामी एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.12.2002 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान करते है, इस अवधि में निम्नांकित वृक्ष तब तक नही गिराये जायेंगें, जब तक कि वृक्ष सूख न गया हो या सूख रहा हो या यह व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य के लिए इसका गिराया जाना आवश्यक हो और ऐसे वृक्ष को गिराने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई होः–

क्रम सं0	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	अखरोट	जुगलेंस रिजिया
2	अंगू	फ्रेक्सिनस मिक्रान्था
3	चमखड़िक	करपिनस विमीनिया
4	जमनोई	प्रूनस कोरनुटा
5	नीम	अजेडिरैक्टा इण्डिका
6	बांज, खिरसू, मोरू	क्यूरकस स्पेसीज
7	महुआ	मधुका लैटीफोलिया
8	साल	शोरिया रोबस्टा
9	पीपल	फाइक्स रेलीजियोसा
10	बरगद, बड़	फाइक्स बेंगालेन्सिस
11	देवदार	सीड्रस देवदारा

उपरोक्त के अतिरिक्त आम(देसी, तुकमी व कलमी) वनस्पति शास्त्रानुसार नाम ''मैजीफेरा इण्डिका'' के वृक्ष को ''वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976'' की धारा–3 (XI) में उल्लखित फलदार वृक्षों की श्रेणी में रखते हुए शिड्यूल–II में सम्मिलित किया जाता है, जिससे इसके फलदायी क्षमता में गिरावट होने पर अथवा बीमारी की दशा में जिला उद्यान अधिकारी की औपचारिक अनुमति प्राप्त करके इसका पातन किया जा सकता है।

आज्ञा से,

ह0/–
(अशोक)
अपर सचिव।

संख्या–98(2)(1)/1–व.ग्रा.वि./2002, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूड़की को अधिसूचना की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
2. सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड़ नैनीताल,।
4. समस्त मुख्य वन सरंक्षक, उत्तरांचल।
5. समस्त वन सरंक्षक, उत्तरांचल।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून।
9. सूचना निदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।

ह0/–
(अशोक)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या–1618/1(2) व.ग्रा.वि./2002–9(3)/2001
देहरादूनः दिनांकः 27 सितम्बर, 2002.

अधिसूचना

हाल के वर्षो में ''पौपलर'' प्रजाति के वृक्षों को निजी व्यक्तियों एवं कृषकों द्वारा निजी भूमि पर उगाने जाने के सम्बन्ध में प्रोत्साहन दिये जाने की शासन की नीति रही है। इस प्रजाति के वृक्ष ''वुक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976'' के प्राविधानों के अन्तर्गत कटान–परमिट की बाध्यता से मुक्त है। कृषि/निजी भूमि में ''पौपलर'' प्रजाति के वृक्षों को अधिक से अधिक उगाने व ऐसे वृक्षों से उत्पादित प्रकाष्ठ आदि को बिना कठिनाई के बिक्री करने तथा कच्चे माल के अधिकाधिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2530/14–2/97–377–76–टी.सी. के कम में ''उत्तर प्रदेश शासन प्रकाष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद अभिवहन नियमावली, 1978'' के नियम–3 (सी) में प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए वनेत्तर क्षेत्र में उगाये गयें ''पौपलर'' प्रजाति के वृक्षो से उत्पादित प्रकाष्ठ आदि के अभिवहन को सम्पूर्ण उत्तराचंल राज्य क्षेत्र में उक्त नियमावली के प्राविधानों से मुक्त रखने के आदेश, सहर्ष प्रदान करते है।

ह0/–
(अशोक)
अपर सचिव

संख्या–1618(1)/1(2) व.ग्रा.वि./2002–9(3)/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराचंल शासन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड़ नैनीताल,।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमायुँ मण्डल उत्तरांचल,।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम देहरादून।
6. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/निदेशक, राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव रिजर्व उत्तरांचल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तरांचल।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को गजट में प्रकाशनार्थ,।
11. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
12. गार्ड फाइल।

ह0/–
(अशोक)
अपर सचिव।

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या–1319/1(2) व.ग्रा.वि./2002–10(19)/2001
देहरादूनः दिनांकः 8 नवम्बर, 2002.

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकता है जो आवश्यक व समीचीन हो।

चूंकि ''भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियम, 1964'' (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा 86 के उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू हैं।

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (अधिनियम संख्या–29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल उत्तरांचल सहर्ष निर्देश देते है कि ''भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियम, 1964'' उत्तरांचल राज्य में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगाः–
उत्तरांचल (भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भः–

   1) यह आदेश उत्तरांचल (भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।
   2) यह तत्काल प्रभाग से लागू होगा।

2. '' उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर '' उत्तरांचल'' पढ़ा जाना।

भारतीय वन (उत्तर प्रदेश) नियम, 1964 में जहॉ–जहॉ शब्द '' उत्तर प्रदेश'' आया है। वहॉ शब्द '' उत्तरांचल'' के रूप में पढ़ा जायेगा।

ह0/–
(केशव देसिराजु)
सचिव।

संख्याः 1319(1)/1(2)व.ग्रा.वि./2002, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन,
2. लोकायुक्त, उत्तरांचल देहरादून,
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल नैनीताल,
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल,
5. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक, उत्तरांचल,
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल,
7. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल,
8. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को अधिसूचना के अग्रेजी अनुवाद सहित, इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को शासकीय गजट प्रकाशित कराते हुए, गजट की 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें,
10. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल ,
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग,

आज्ञा से,
ह0/–
(किशन नाथ)
संयुक्त सचिव।

उत्तरांचल शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2
संख्या–186/1(2)/1 व.ग्रा.वि./2003–10(1)/2000
देहरादूनः दिनांकः 27 फरवरी, 2003.

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) की धारा–21 के साथ पठित उत्तरांचल ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण, अधिनियम, 1976 की धारा–23 की उपधारा (1) के अधीन प्रद्त्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, जन साधारण के हित में, उत्तरांचल शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–98(2)/1 व.ग्रा.वि./2002, दिनांक 29 जनवरी 2002 के क्रम में निम्नलिखित प्रजातियों के वृक्ष, जो वन या वन भूमि में स्थित वृक्षों से भिन्न हो, के गिराये जाने पर दिनांक 31.12.2002 तक लगाये गये प्रतिबन्ध को, उत्तरांचल राज्य हेतु आगामी एक वर्ष के लिए अर्थात् 31–12–2003 तक बढाये जाने की स्वीकृति, एतद्द्वारा प्रदान करते है. इस अवधि में निम्नांकित वृक्ष तब तक नही गिराये जायेगें, जब तक कि वृक्ष सूख न गया हो या सूख रहा हो या व्यक्ति या सम्पत्ति के लिए खतरा पैदा कर रहा हो या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विकास कार्य के लिए इसका गिराया जाना आवश्यक हो और इसे वृक्ष को गिराने के लिए सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त कर ली गई होः–

क्रम सं0	सामान्य नाम	वनस्पतिशास्त्रानुसार नाम
1	अखरोट	जुगलेस रिजिया
2	नीम	अजेडिरैक्टा इण्डिका
3	बांज, खिरसू, मोरू	क्यूरकस स्पेसीज
4	साल	शोरिया रोबस्टा
5	पीपल	फाइक्स रेलिजियोसा
6	बरगद, बड़	फाइक्स बेंगालेन्सिस
7	देवदार	सीड्रस देवदारा

आज्ञा से
ह0/–
(गम्भीर सिंह)
अपर सचिव

संख्या–186(2)/1–(2)व.ग्रा.वि./2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूड़की को अधिसूचना की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि सहित सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
2. सचिव, राजस्व, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल।
4. समस्त मुख्य वन सरंक्षक, उत्तरांचल।
5. समस्त वन सरंक्षक, उत्तरांचल।
6. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरांचल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून।
9. सूचना निदेशक, उत्तरांचल, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
ह0/–
(गम्भीर सिंह)
अपर सचिव

कार्यालय ज्ञाप

विभिन्न जनपदों में फल वृक्षों के कटान के सम्बन्ध में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं तथा शिकायतें भी प्राप्त हो रही है, जिससे विभाग की छवि हो रही है।

फल वृक्षों के अनावश्यक कटान पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी रोगग्रस्त एवं अलाभकारी फल वृक्षों को निजी क्षेत्र मे कटाने की स्वीकृति दिया जाना अनिवार्य हो तो उन फल वृक्षों का वन अधिकारियों, जनपद के उद्यान अधिकारी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाय। जहॉ पर बिमारी इत्यादि के एवं अलाभकारी पेड़ों के पातन का संदर्भ हो वहॉ किसी नजदीक के शोध संस्थान से वैज्ञानिक को भी सम्मिलित कर लें। समिति की संस्तुति उपरान्त सक्षम वन अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार पेडो का पातन सम्भव होगा।

ह0/–
निदेशक

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड़,
उद्यान भवन, चौवटिया–रानीखेत।

पत्रांक –56 /उ0त0/2007–08 दिनांकःदेहरादून 01, जून 2007

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिला उद्यान अधिकारी.....(उत्तराखण्ड)।
2. उपनिदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, कुमाऊॅ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मंडल पौड़ी।
3. निदेशालय के सम्बन्धित कक्ष प्रभारी।
4. संयुक्त निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, 20/4, तेगबहादुर रोड, देहरादून।
5. निदेशक, शोद्य, गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
6. मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।

ह0/–
निदेशक